

FORM NO. III

फर्द आहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 570/2025

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामीन
में जारी हुए

28/10/2025

यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का हल्देना न उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का हल्देना के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम हल्देना पटवार हल्का हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072-75 में खाता संख्या 159 के खातेदार ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा.देह खातेदार एवं ओमप्रकाश योगी पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/9 जाति जोगी सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड खातेदार की जांच की गई। जांच में ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा.देह खातेदार एवं ओमप्रकाश योगी पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/9 जाति जोगी सा.देह की दोहरी प्रविष्टी पायी गई। उक्त दोहरी प्रविष्टी को ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 5/9 कर एक किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मण्डावर द्वारा उक्त दोहरी प्रविष्टी खातेदार ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा.देह खातेदार एवं ओमप्रकाश योगी पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/9 जाति जोगी सा.देह को खातेदार ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 5/9 शुद्ध किये जाने की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम हल्देना पटवार हल्का हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2072-75 में खाता संख्या 159 के खातेदार ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा.देह खातेदार एवं ओमप्रकाश योगी पुत्र हरसहाय हिस्सा 2/9 जाति जोगी सा.देह दोहरी प्रविष्टी को खातेदार ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 5/9 शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मण्डावर को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R. A. S

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर दौसा